न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं.:– 03/2017

1. मालीराम पुत्र स्व. भूराराम

   जाति बलाई निवासी कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीराम उर्फ बाबू पुत्र स्व. सुजाराम
2. गोमा पुत्र नारायण

   जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र

निर्णय **दिनांक 01.11.2019**

वाके ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि गत खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं 337, 340, 341, 338/662 किता 4 कुल रकबा 2.70 है., के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अवमानना का प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वर्णित किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार जीवण पुत्र रामू, जैस्या तथा भूरया पुत्रान कुशाल जाति बलाई थे। जिनके पश्चात प्रार्थी व उसके भाई सेडूराम व हनुमान बतौर उतराधिकारी सअधिकार काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसके अन्तर्गत न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 06.05. 2015 को उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि वे वाद ग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, आदि नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 06. 05.2015 के विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने दिनांक 28.12.2015 को अपीलान्ट/अप्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 06.05.2015 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक निगरानी टीए 30/2016 बउनवानी मालीराम बनाम सूजाराम व अन्य दिनांक 04.01.2016 को

प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय राजस्व मण्डल ने दिनांक 04.01.2016 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 28.12.2015 में अंकित विवादग्रस्त आराजी उक्त खसरा नं. 337, 340, 341, 338/662 की मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखते हुए विवादग्रस्त आराजी के बैचान नही किये जाने हेतु मण्डल के अग्रिम आदेश तक पाबन्द किया गया है तथा इसी अनुसार प्रार्थी द्वारा एक वाद मय प्रार्थना पत्र टी.आई उनवानी मालीराम बनाम सूजाराम प्रकरण सं 14/2013 विवादित भूमि खसरा नं. 350 लगायत 357 कुल किता 8 कुल रकबा 3.33 है. वाकेग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर के सन्दर्भ में भी उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को सभी पक्षकारान की उपस्थिति में उभय पक्षों की सहमति से उभय पक्षकारान को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है कि वे वाके ग्राम कालीघाटी में स्थित आराजी खसरा नं. 350 लगायत 357 की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। न्यायालयों द्वारा पारित उक्त सभी निर्णयों की जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से ही रही है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन उपरोक्त वर्णित भूमि में स्थित पेडों की कटाई छटाई करते है। इसी क्रम में अप्रार्थीगण दिनांक 16.12.2016 को भूमि पर स्थित हरे पेडों को काटकर ले गये तथा इसी अनुसार दिनांक 04.03.2017 को भी प्रार्थी के खेत में उगी हुई फसल, वनस्पति इत्यादी को जला दिया तथा खेत में हरे पेडों की टहनियों को एवं पेडों को काटकर ले गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण के बार बार किये जा रहे कृत्य न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में आते है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मान्य न्यायालय द्वारा जारी स्टे आदेश की अवहेलना किये जाने के जुर्म में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन/सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात पेश किये है–

1. छायाप्रति :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी दिनांक 27.02.2017 (प्रदर्श– 01)
2. छायाप्रति :– थानाधिकारी आमेर को निर्देशित न्यायालय हाजा का पत्र क्रंमांक 268 दिनांक 27.02.2017 (प्रदर्श– 02)
3. छायाप्रति :– न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 19.05.2016(प्रदर्श– 03)
4. छायाप्रति :– फोटोग्राफ (प्रदर्श– 04)
5. छायाप्रति :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी दिनांक 27.02.2017 (प्रदर्श– 05)

6. छायाप्रति :– थानाधिकारी आमेर को निर्देशित न्यायालय हाजा का पत्र क्रमांक 267 दिनांक 27.02.2017 (प्रदर्श– 06)

7. छायाप्रति :– न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 06.05.2015 (प्रदर्श– 07)

8. छायाप्रति :– प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत निगरानी सं. 30/2016 कि प्रति मय आदेशिका कुल पृष्ठ किता –8 (प्रदर्श– 08)

9. छायाप्रति :– प्रार्थी द्वारा थानाधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2016 की प्रति मय मय थानाधिकारी जांच रिपोर्ट बयान प्रार्थीगण जांच रिपोर्ट, इस्तगाशा कुल किता– 13 (प्रदर्श– 09)

10. मूल प्रति :– श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा का पत्र क्रमांक 4663 दिनांक 18.05.2018 मय संलग्न पत्रादि कुल किता– 03 (प्रदर्श– 10)

11. मूल प्रति :– प्रार्थी द्वारा श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा का तहसीलदार आमेर को निर्देशित पत्र क्रमांक 4473 दिनांक 14.05.2018 मय संलग्न पत्र (प्रदर्श– 11)

12. मूल प्रति :– प्रार्थी द्वारा श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा का तहसीलदार आमेर को निर्देशित पत्र क्रमांक 3168 दिनांक 03.04.2018 मय संलग्न पत्र (प्रदर्श– 12)

13. मूल प्रति :– प्रार्थी द्वारा श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा का तहसीलदार आमेर को निर्देशित पत्र क्रमांक 1765 दिनांक 22.02.2018 मय संलग्न पत्र (प्रदर्श– 12)

14. साक्ष्य शपथ पत्र मय बयान :– प्रार्थी मालीराम

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुऐ अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी व उनके पूर्वजों का उक्त आराजीयात से कभी कोई सम्बंध व सरोकार नही रहा है तथा ना ही प्रार्थी जैस्या पुत्र कुशला का

विधिक वारिसान है। उक्त आराजीयात पर पूर्व में अप्रार्थीगण के पूर्वज तथा उनकी फौती के पश्चात अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा उभय पक्षों की सहमति से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कथन पूर्णत मिथ्या, बनावटी दर्ज किया है तथा प्रार्थी द्वारा यह तथ्य भी मिथ्या व बनावटी अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद स्थगन दिनांक 16.12.2016 को पेडों की छगाई की गई, पेड काट कर ले गये तथा मौके पर खडी फसल इत्यादि को आग लगा दी गई। जिससे मौके पर खडी फसल नष्ट हो गई तथा अप्रार्थीगण आये दिन पेडो की टहनिया काटते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप अपने प्रार्थना पत्र में लगाया गया है जो पूर्णत मिथ्या बनावटी, मनगढन्त, तकमील किये गये है। यदि मौके पर खडी फसल में आग लगाई होती तथा हरे वृक्ष काटे गये होते तो प्रार्थी द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी सक्षम थाने के समक्ष दर्ज करवाई गई होती। जो आज दिनांक तक किसी थाने में दर्ज नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण मुतदाविया आराजीयात के भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार है तथा भूमि का निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नही किया है कि आग से कौनसी फसल नष्ट हुई तथा उक्त नष्ट होने वाली फसल के बाबत किसी विभाग में क्या कार्यवाही की गई। इस बाबत एकल दस्तावेज प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थीगण ने कभी भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नही की है अपितु अप्रार्थीगण फसल बुआई के समय उक्त आराजीयात में घने वृक्ष होने के कारण उनकी छोटी–छोटी टहनिया इस आशय से छगाई करते है कि नई उगने वाली फसल को सम्यक रूप से सूर्य की रोशन प्राप्त हो सके तथा घने वृक्षो के नीचे उनकी फसल पर्यावरण स्वच्छता के कारण कमजोर होकर नष्ट नहीं हो सके। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जो कि भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, को भूमि के उपयोग उपभोग हेतु किसी प्रकार से स्थगन आदेश से पाबन्द नही किया है बल्कि प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र अवैध आधारों पर प्रस्तुत किया है जो कि काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र व बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी ने दो विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों की भूमि खसरा नं. 350 लगायत 357 कुल किता 8 कुल रकबा 3.33 है. तथा खसरा नं 337, 340, 341, 338/662 कुल किता 4 कुल रकबा 2.70 है. के बाबत दो पृथक–पृथक स्थगनों के विरूद्ध एक ही अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि कानूनन पोषणिय नही है जबकि विधि की मंशा के अनुसार प्रत्येक पृथक–पृथक दर्ज होने वाले स्थगनों की

पृथक–पृथक अपील, निगरानी, अथवा मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र, अवमानना प्रार्थना पत्र वगैरहा प्रस्तुत करने का कानूनी प्रावधान है इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दो पृथक–पृथक स्थगनों के विरूद्ध प्रस्तुत एक ही अवमानना प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में टिनेबल नही होकर काबिले खारिज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा बिना वजह मात्र घरेलू रंजीश होने के कारण हैरान व परैशान करने के लिहाज से फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः जवाब अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन/सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात पेश किये है–

1. छायाप्रति :– छायाप्रति न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 24.09.2015 से 19.05.2016 बाबत अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 06/2013 बउनवानी मालीराम बनाम सुजाराम
2. छायाप्रति :– प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 81/2006 दिनांक 07.10.2006 बउनवानी मालीराम बनाम सुजाराम व अन्य
3. छायाप्रति :– प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र संख्या 04/2013 बउनवानी मालीराम बनाम रामकंवरी व अन्य के सन्दर्भ में आदेशिका दिनांक 02.03.2015 से 19.05.2016 की मय प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 परस्पर संबंधित एवं पूरक दस्तावेजात है। जो कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.05.2016 की पालना से संबंधित हो क्रमानुसार दस्तोवज है। उक्तानुसार प्रदर्श–3 विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत स्थगन आदेश है तथा प्रदर्श–1 उक्त आदेश की तथाकथित अवमानना बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र है। दस्तावेजात प्रदर्श–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.05.2016 विवादित भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति मात्र हेतु प्रभावी है जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की तथाकथित अवमानना बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श–1 में पेडों की टहनीयों की छंगाई बाबत उल्लेखित किया गया है जो कि उक्त स्थगन आदेश के अनुसार अवमानना की श्रेणी में

नही आता है। इसी प्रकार स्वयं प्रार्थी के साक्ष्य दस्तावेजात प्रदश–5, 6, 7 भी न्यायालय हाजा के ही स्थगन आदेश दिनांक 06.05.2015 की पालना से संबंधित क्रमानुसार दस्तावेज है। उक्तानुसार भी स्वयं के साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श–5 में भी स्वयं प्रार्थी द्वारा पेडों की कटाई (छंगाई) बाबत कथन किया गया है जो कि उक्त आदेशानुसार अवमानना की श्रेणी में नही आता है। इसी प्रकार प्रार्थी के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज (1) आदेश दिनांक 04.01.2017 न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त (आमेर) जिला जयपुर (प्रदर्श–2) (2) इस्तगासा दिनांक 29.12.2016 थानाधिकारी पुलिस थाना आमेर (प्रदर्श–9) (3) पुलिस जांच रिपोर्ट दिनांक 26. 12.2016 (प्रदर्श–9) (4) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2016 (प्रदर्श–9) (5) जांच बयान प्रार्थी मालीराम समक्ष पुलिस थाना आमेर दिनांक 19.12.2016 (प्रदर्श–9) (6) जांच बयान सेडूराम पुत्र भूराराम बलाई समक्ष पुलिस थाना आमेर दिनांक 19.12.2016 (प्रदर्श–9) (7) जांच बयान नाथूराम पुत्र चौथूराम रैगर समक्ष पुलिस थाना आमेर दिनांक 19.12.2016 (प्रदर्श–9) में भी स्पष्ट रूप से पेडों की टहनीयों मात्र की कटाई का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार आमेर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 में भी पेडों की कटाई नही होना स्पष्ट रूप से अंकित करते हुये मात्र पेडों की छंगाई डालियों की कटाई होने बाबत कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थी द्वारा अपनी जिरह के बयानों में भी विभिन्न स्थानों पर पेडों की छंगाई कटाई मात्र बाबत ही स्पष्ट रूप से कथन किया है। अतः इस प्रकार स्वयं प्रार्थी के ही विभिन्न साक्ष्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण पेडों की टहनीयों की कटाई, छंगाई मात्र से प्रेरित/संबंधित है, जो कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की अवमानना की श्रेणी में नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर

मुख्यालय जयपुर

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि **ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 861, 864, 866, 872, 876/1901 एवं 912 कुल किता–6 कुल रकबा–1.44 है. के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है।**

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के समीप ही स्थित भूमि के खातेदार है। जिनका प्रार्थीगण की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित किया गया है कि **प्रार्थीगण अपनी भूमि 861 में निवास हेतु मकान का निर्माण** करा रहे थे तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आके प्रार्थीगण की बनाई गई चार दीवारी को तोड दिया इसी प्रकार **दिनांक 18.05.2018** को भी पुनः मौके पर आकर प्रार्थीगण की चार दीवारी व पशुओ के टीनशेड को तोड दिया तथा प्रार्थीगण के मकानात के निर्माण को रोक दिया। इसी प्रकार **दिनांक 01.06.2018** को भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की पूर्व में तोडी गई चार दीवारी व टीनशेड के मरम्मत कार्यों को भी रोक दिया। यदि प्रार्थीगण अपने जानवरों के टीनशेड ठीक नहीं करवा पायेंगें तो जानवरों के लिए समस्या हो जायेगी तथा चार दीवारी की मरम्मत नहीं करने दी तों प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा समाप्त हो जायेगी व प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं हैं कि वे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत करें। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण कों पाबन्द किया जावें कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें तथा ना ही प्रार्थीगण की तोडी गई चार दीवारी व जानवरों के बाडे में टीनशेड की मरम्मत के कार्य को रोके।

प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों के अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि जिस तथाकथित लिखावट (विक्रय इकरारनामा) के आधार पर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के रूप में एक अन्य वाद प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। उक्त तथाकथित लिखावटी पत्र मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत नही किया गया है। ना ही उक्त तथाकथित विक्रय पत्र/इकरारनामा पंजीकृत दस्तावेज है जिससे अपंजीकृत व अमान्य दस्तावेजों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में स्थगन आदेश प्राप्त करने कि अधिकारीता से वंचित नही किया जा सकता है। जहा तक प्रश्न अप्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद बउनवानी प्रभूदयाल बनाम साधूराम के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की है तो उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अंतिम आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का पारीत नही हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलाधिन आदेश में

न्यायालय हाजा का स्थगन मात्र ख.नं. 872 के सन्दर्भ में तथा मात्र निर्माण की हद तक है। रिकार्ड में अंकित खातेदारीता के सन्दर्भ में कोई आदेश प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित नही हुआ है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतिम निर्णय से पूर्व स्थगन से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाना न्यायाचित भी नही है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायायिक दृषटान्त पेश किये हैः–

(1) 2007 (1) RRT पेज–103

(2) 1995 RBJ पेज–494

(3) 1974 RRD पेज–305

(4) 2002 (2) RRT पेज–1176

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष निराधार व मनगढंत तथ्य पेश कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम रूण्डल तहसील आमेर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 866, 872, 876/1901, 912 की भूमि पर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। **प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अन्य वाद बउनवानी प्रभूदयाल बनाम साधूराम के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में खसरा नम्बर 872 में मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के स्थगन आदेश की कार्यवाही से बचने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध बनावटी तथा काल्पनिक तथ्य रचकर न्यायालय हाजा को मुगालते में रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मनगढंत व झुठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है।** जिसका वास्तविकता से कोई से संबंध नहीं है। जब कि प्रार्थीगण मात्र ख.नं. 861 व 864 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा खसरा नम्बर 872 में अपने हिस्से 1/3 के भी मात्र 0.06 है. भूमि पर ही काबिज है। ख.नं. 872 की शेष भूमि पर अप्रार्थीगण गत लगभग 37 वर्ष से तथा अप्रार्थीगण के पुख्ता मकानात बने हुये है तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा है। शेष **ख.नं. 866, 912 की सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा ने प्रार्थीगण के पिता से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर निरन्तर काबिज काश्त करते आ रहें है तथा ख.नं. 876/1901 कि सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज है व भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहें है।** इस प्रकार ख.नं. 866, 872, 876/1901 व 912 की भूमि प्रार्थीगण की नहीं है। जिससे अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 866, 912 व 876/1901 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्थगन

आदेश से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं कि वे अप्रार्थीगण कों ख.नं. 866, 912, 876/1901 की भूमि में तथा खसरा नम्बर 872 की भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सके।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया है कि **विवादित भूमि के साबिक (गत) ख.नं. 458 व 460 थे।** जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 458 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा नाथू पुत्र रूडा के नाम तथा भूमि ख.नं. 460 रकबा 8 बीघा 7 बीस्वा में प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रूडा का हिस्सा 1/4 व रामेश्वर पुत्र होल्या का हिस्स 1/4 व अप्रार्थीगण के पुर्वज भागीरथ पुत्र चौथ्या का हिस्सा 1/2 निहित था। **उक्त भूमि के बाबत दिनांक 15.09.1984 को राजस्व केम्प ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर में पक्षकारान (प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पुर्वज) के मध्य आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर वर्णित साबिका भूमि ख.नं. 458 व 460 का खाता विभाजन किया जाकर नवीन (वर्तमान) ख.नं. 861 लगायत 868, 870 लगायत 876, 911 व 912 कायम किये गये। जिसके क्रम में प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रूडा के हिस्से में भूमि ख.नं. 861, 864, 866, 912 रामेश्वर पुत्र होल्या के हिस्से में भूमि ख.नं. 862, 865, 870, 871 तथा भागीरथ पुत्र चौथू के हिस्से में भूमि ख.नं. 863, 868, 874, 876, 911 अंकित कि गई तथा भूमि ख.नं. 867, 872 (आबादी), 873 (कुआ), 875, कुल किता–4 शामलाती रखी गई। उक्त बटवारा होने पर सभी पक्षकारों को इस बटवारें पर कोई आपत्ति थी ना ही किसी पक्षकार ने दिनांक 15.09.1984 आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है।** अर्थात सभी पक्षकारों को खाता विभाजन दिनांक 15.09.1984 से स्वीकार है। उक्त स्वीकृत विभाजन के **अनुसार ख.नं. 872 कुल रकबा 0.24 है. भूमि शामलाती भूमि थी।** जिसमें प्रार्थीगण का केवल 1/3 हिस्सा निहित था तथा वर्तमान में भी मात्र 0.06 है. भूमि पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है क्योकि प्रार्थीगण ने ख.नं. 861 कुल रकबा 0.33 है. भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा रखा है जबकि वास्तव में 0.30 है. भूमि ही प्रार्थीगण के हक में आती है। चूंकि भागीरथ के हिस्से में आये ख.नं. 863 में 0.30 है. भूमि निहित है तथा खसरा नम्बर 872 के अपने हिस्से की 0.09 है. भूमि में अप्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात लगभग 37 वर्षों से बना रखे है तथा अप्रार्थीगण ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है। **प्रार्थीगण ने दिनांक 15.09.1984 को सहमती के आधार पर किये गये बटवारें में शामलात खसरा नंबर 872 सम्पूर्ण का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर गलत रूप से अपने नाम दर्ज**

करवा लिया जो कानुन विरूद्ध है। इस प्रकार ख.नं. 872 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.24 है. प्रार्थीगण की नहीं है। ख.नं. 866 व 912 के सन्दर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 866 व 912 कुल किता 2 की कुल भूमि 0.33 है. को प्रार्थीगण वादीगण के पिता नाथूराम के द्वारा दिनांक 15.06.1991 को किशन लाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या को जरिये पांच रूपये के स्टाम्प पर गवाह के समक्ष लिखावट लिखकर 59,000/– में बेचान किया गया था तथा जिसकी सम्पूर्ण राशि 28.07.1991 को प्राप्त कर ली थी तथा लिखावट दिनाक 15.06.1991 को खसरा नम्बर 866 व 912 की सम्पूर्ण भूमि 0.33 है. पर कब्जा किशनलाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या को संभला दिया था तथा 5/– के स्टाम्प पर बेचान की लिखावट लिखी गयी थी शेष राशि 50,000/– प्राप्त करने के बाद लिखावट की पुश्त पर **छितरमल व साधूराम ने अपने पिता नाथूराम के साथ स्वयं ने भी अंगूठा निशानी लगायी थी** तथा दिनांक 28.07.1991 को पुनः लिखी गयी लिखावट पर ही **छितरमल व साधूराम ने अपने पिता के साथ–साथ अंगूठा निशानी लगायी थी। खसरा नम्बर 866 व 912 की सम्पूर्ण भूमि की बेचान** की जानकारी नाथूलाल के सभी वारिसों को शुरू से रही है तथा नाथूराम ने खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि के उपयोग उपभोग के सम्पूर्ण अधिकार किशनलाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या को प्रदान किये थे। तथा नाथूराम अपने जीवनकाल में तथा नाथूराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि अप्रार्थीगण किशनलाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या के हक में दुरूस्त करवाने का आश्वासन मिनप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के द्वारा प्रभूदयाल बनाम साधूराम का वाद दायर करने से पहले तक मिनप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को देते चले आ रहे थे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में भाई बन्धू है। दिनांक 15.06.1991 को बेचान की लिखावट लिखने के पश्चात आज तक खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि पर किशनलाल के वारिसान तथा रामेश्वर के द्वारा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर किया जा रहा है तथा फसल उगाना खेती बाडी भी निरन्तर करते चले आ रहे है। **खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि केवल राजस्व रिकार्ड में मिनअप्रार्थीगण/वादीगण के नाम दर्ज है जिससे राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर तथा न्यायालय हाजा को मुगालते में रखकर मिनअप्रार्थीगण/वादीगण ने मिनप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। दिनांक 15.09.1984 को सहमति के आधार राजस्व कैम्प रूण्डल में किये गये खाता विभाजन में खसरा नम्बर 876 कुल**

रकबा 0.24 है. की भूमि भागीरथ पुत्र चौथू के हिस्से में आयी थी। इसके सम्पूर्ण खसरा नम्बर 876 की भूमि पर भागीरथ के वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 15.09.1984 से निरंतर चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग विगत करीब 35 वर्ष से करते चले आ रहे है। जिसमें अप्रार्थीगण का थ्री फेस का बोरिंग स्थित है। **प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 876 कुल रकबा 0.24 है. का विभाजन कर एक नया खसरा नम्बर 876/1901 कुल रकबा 0.14 है. अलग से बनवाकर गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम में दर्ज करवा लिया तथा मूल खसरा नंबर 876 का रकबा 0.24 है. से घटाकर 0.10 है. ही करवा दिया जबकि ख.नं. 876/1901 मूल ख.नं. 876 से ही बना है तथा मौके पर खसरा नम्बर 876 के सम्पूर्ण जाव पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा बीच में कोई अन्य भूमि स्थित नहीं है जबकि अलग से बनाये गये खसरा नम्बर 876/1901 कुल रकबा 0.14 है. की भूमि पर भी काश्त व फसल की बुआई अप्रार्थीगण के द्वारा ही की जा रहीं है तथा वर्तमान में 876 व 876/1901 की सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है।** जिसके क्रम में आदिनांक तक भूमि का उपयोग, उपभोग कब्जाकाश्त भी अप्रार्थीगण का चला आ रहा है एवं फसल भी अप्रार्थीगण द्वारा ही उगाई जा रही है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के हिस्से में दिनांक 15.09.1984 को हुये बटवारें सें हिस्से में आये खसरा नम्बर 876 , **खसरा नम्बर 876 से अलग से बनाये गये खसरा नम्बर 876/1901 कुल रकबा 0.14 है. (जो कि प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर अलग कर बनवाया गया है)** की भूमि पर भी अप्रार्थीगण का कब्जा बटवारें के पश्चात से निरन्तर है, **प्रार्थीगण द्वारा मात्र ख.नं. 876/1901 राजस्व रिकार्ड में अंकित होने का नाजायज फायदा** उठाकर अप्रार्थीगण को परेशान किया जा रहा है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। इस प्रकार **प्रार्थीगण का केवल ख. नं. 861, 864 व 872 में आये 1/3 हिस्से में भी केवल 0.06 है. भूमि पर** कब्जा है। प्रार्थीगण मात्र राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने का फायदा उठाकर न्यायालय हाजा को गुमराह कर रहे है। तथा अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में बाधा कारित कर रहें है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि के चारों ओर पक्की दीवार नही बना रखी है। जिसको अप्रार्थीगण द्वारा तोडे जाने का तथ्य मनगढंत व झुठा है। **ख.नं. 866, 912, 876/1901 तथा ख.नं. 872 की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है तथा ख.नं. 866 व 912, 876/1901 की सम्पूर्ण भूमि पर तथा ख.नं. 872 की 0.06 है.(1/3 हिस्से से भी कम) भूमि को छोडकर शेष पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा**

अप्रार्थीगण ही इसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। ख.नं. 872 की शेष 0.06 है. जो कि प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि है, को छोडकर अपने हिस्से की शेष भूमि पर अप्रार्थीगण ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की कोई दीवार नहीं तोडी गई ना ही प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की पुख्ता दीवार का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद प्रभूदयाल बनाम साधूराम के मुकदमें में ख.नं. 872 में अस्थाई निषेधाज्ञा तथा घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के मुकदमें से बचने के लिए प्रार्थीगण ने यह मुकदमा गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है जो खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जावें।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को भूमि ख.नं. 866 व 912 के बेचान के सन्दर्भ में रजिस्ट्री नही व नामान्तरण नही करवाने के विवाद के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में भी एक वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त बेचान के साक्षीगणों द्वारा भी न्यायालय में अप्रार्थीगण के पक्ष में हुये विक्रय बाबत बयान किया गया है तथा थानाधिकारी चन्दवाजी द्वारा भी समस्त अनुसंधानों, बयानात गवाहान, उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य सबुतो के आधार पर तस्दीक किया गया है कि प्रार्थीगणो व उनके पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान गवाहों के समक्ष पांच रूपये के स्टाम्प पर अग्रीमेन्ट कर तथा तय शुदा रकम 59000 रूपये प्राप्त कर बेचान अप्रार्थीगण के पुर्वज को किया गया था तथा कब्जा सम्बलाया गया था। इसके अतिरिक्त स्टाम्प पेपर की वैधता के सन्दर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थीण द्वारा कथन किया गया है कि नियत मुद्रांक शुल्क का भुगतान एक पृथक विषय है जिसकी पूर्ती नियत शुल्क भुगतान कर की जा सकती है तथा मुद्रांक शुल्क अदा कर उक्त
बेचान पत्र (इकरारनामा) को पंजीबद्ध कर साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है परन्तु मूल दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उक्त बेचान पत्र की उपयोगीता को नकारा नही जा सकता है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 872 के सन्दर्भ में भी प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि जब राजीनामा के क्रम में ख.नं. 872 शामलाती रूप से दर्ज हुआ था तो उक्त खसरा अकेले प्रार्थीगण की खातेदारी में कैसे दर्ज हुआ है जबकि इसमें अप्रार्थीगण का भी 1/3 हिस्सा व अन्य का भी 1/3 हिस्सा दर्ज था जो कि विवेचन का विषय है। इसी प्रकार ख.नं. 876/1901 के सन्दर्भ में भी यह स्पष्ट नही किया गया है

कि ख.नं. 876 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुआ था तथा आपसी सहमती से हुये विभाजन पश्चात बने समस्त खसरा नम्बरान में 876/1901 था ही नही तो उक्त खसरा कहा से तथा कैसे अकेले प्रार्थीगण के नाम हुआ। इस बाबत भी कोई मिलान क्षेत्रफल या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तथा नाही बहस में इस बाबत कथन किया गया है। जबकि मूल खसरा नम्बर 876 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य व गणना अनुसार भी अप्रार्थीगण का सिद्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आगे यह भी कथन किया है कि हाल रिकार्ड अनुसार भूमि के अन्य मूल खातेदार रामेश्वर का भूमि खसरा नम्बर 862, 865, 870, 871 अनुसार अंकित(प्राप्त) रकबा 0.99 है. है। तथा खसरा नम्बर 872, व अन्य में भी हिस्सा है। इस प्रकार रामेश्वर का कुल हिस्सा रकबा 1.12 है. है तथा पूर्व (मूल) खाता अनुसार रामेश्वर का हिस्सा 1/4 अंकित है तथा वर्तमान खाता अनुसार नाथ्या व नाथ्या के वारिसान का कुल हिस्सा रकबा 1.44 है. किस प्रकार दर्ज हुआ है जबकि नाथ्या भी मूल खाता अनुसार 1/4 हिस्से का हिस्सेदार है, यह स्पष्ट नही किया गया है जबकि मूल खाता(गत खाता) अनुसार ही अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 होते हुए भी वर्तमान खाते में कुल रकबा 0.78 है. अंकित है। इस पर भी प्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध भूमि खसरा नम्बर 866, 912 जो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से क्रय कि गई है तथा भूमि खसरा नम्बर 876/1901 जो कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के नाम गलत रूप से अंकित करवा ली गई है व शामलाती भूमि ख.नं. 872 के सन्दर्भ में पारित स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायायिक दृषटान्त पेश किये है 2019 (1) RRT पेज–335,

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण की बहस के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थना पत्र बाबत खाता विभाजन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त विभाजन अनुसार भूमि खसरा नम्बर 876 अप्रार्थीगण भागीरथ की एकल खातेदारी में तथा भूमि खसरा नम्बर 872 प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रूडा, रामेश्वर पुत्र होल्या व अप्रार्थीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र चेत्या की शामलाती खातेदारी में दर्ज हुई थी तथा उक्त विभाजन अनुसार खसरा नम्बर 876/1901 के रूप में कोई भूमि सर्जित नही कि गई थी जबकि वर्तमान रिकार्ड अनुसार भूमि खसरा नम्बर 872 शामलाती दर्ज नही होकर प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में किस आधार पर

तथा खसरा नम्बर 876/1901 किस आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लिखावटी इकरारनामा दिनांक 15.06.1991, 28.07.1991 की प्रति अनुसार भी भूमि खसरा नम्बर 866 व 912 प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र होल्या व किशनलाल पुत्र भागीरथ को बमौजूदगी गवाहान पांच रूपये के मुद्रांक पत्र पर हस्ताक्षरित कर विक्रय किया गया था। जिसके क्रम में स्वयं गवाहान द्वारा दिनांक 06.10.2018 को थाना अधिकारी चन्दवाजी के समक्ष बयान कलमबद्ध किये गये है कि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि (ख.नं. 866 व 912) का बेचान सम्पूर्ण तय शुदा रकम प्राप्त कर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया था तथा स्वयं थानाधिकारी द्वारा भी अपनी एफ.आर रिपोर्ट में बाद समस्त अनुसंधान, बयानात गवाहान व साक्ष्य सबूतों के आधार पर यह तस्दीक किया गया है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया था (जिसके सन्दर्भ में मूल एग्रीमेन्ट थानाधिकारी की जब्ती में है) जहां तक प्रश्न मुद्रांक पत्र/इकरारनामा की वैधता के मुद्रांक शुल्क का है तो उक्त सन्दर्भ में मुद्रांक शुल्क का भुगतान एक पृथक विषय है जिसकी पूर्ति नियत मुद्रांक शुल्क अदा कर की जा सकती है तथा मुद्रांक शुल्क अदा कर बेचान पत्र को पंजीबद्ध कर साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जो कि मूल वाद की विषय वस्तु है परन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मुद्रांक पत्र (स्टाम्प पेपर) पर गवाहान की मौजूदगी में तथा पक्षकारान स्वयं के हस्ताक्षरित बेचान पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन व अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि स्थगन अधीन भूमि ख.नं. 866, 912, 876/1901 अप्रार्थीगण की मालिकाना हक की भूमि है तथा भूमि ख.नं. 872 पक्षकारान कि शामलाती खातेदारी की भूमि है तथा भूमि ख.नं. 861, 864 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जो कि निर्विवाद तथ्य है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उनकी अधिकारिता की सिद्ध भूमि ख.नं. 866, 912 व 876/1901 के सन्दर्भ में निषेधाज्ञा से निषेधित रखा जाना उचित नही समझते है। उक्त भूमि की अधिकारिता के सन्दर्भ में अन्तिक निर्णय मूलवाद में पक्षकारान की समुचित सुनवाई के पश्चात उचित समझते है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.07.2018 को प्रार्थीगण की खातेदारी की निर्विवाद भूमि खसरा नम्बर 861, 864 व पक्षकारान की दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया शामलाती सिद्ध

भूमि ख.नं. 872 की हद मात्र तक ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाता है तथा ख.नं. 866, 912, 876/1901 के सन्दर्भ में स्थगन आदेश कों निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

फास्ट ट्रैक आमेर मु, जयपुर

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

फास्ट ट्रैक आमेर मु0

जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2019.12.12 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: